



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या 472 राँची ,सोमवार 31 भाद्र 1936 (श०)  
22 सितम्बर, 2014 (ई०)

---

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
संकल्प

18 सितम्बर, 2014

संख्या-5/आरोप-1-443/2014 का 0 9421--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री नन्द किशोर गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-789/03, गृह जिला- मुजफ्फरपुर), अंचल अधिकारी, जामताड़ा सदर के पद पर कार्यावधि में राष्ट्रीय/राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, नामांतरण पंजी संधारण, चिचुरबील फेरीघाट की नीलामी, ग्राम प्रधान एवं चौकीदार के वेतन भुगतान आदि में अनियमितता बरतने संबंधी आरोप, जैसा कि संलग्न प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री गुप्ता के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री गुप्ता को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।
4. श्री गुप्ता द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल, श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जांच पदाधिकारी, झारखण्ड, टाऊन एडमिनीशट्रेशन बिल्डिंग, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।
5. श्री गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री प्रेमकांत झा, अपर समाहर्ता, जामताड़ा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**प्रमोद कुमार तिवारी,**

सरकार के उप सचिव।

-----